हुक्म	बीरमल वगैरह बनाम महावीर वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा० पत्र क्र० 14/19	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये वकील दस्तावेज पेश किये। वकील प्रार्थी ने भी दस्तावेज पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 01/07/2019 को पेश हो।	
07/19	वकुलाय फरीकैन उप.। वकील प्रार्थी ने प्रकरण मे पूर्व में Rulling पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। समयाभाव के कारण पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आईन्दा दिनांक 15/07/2019 को पेश हो।	
7/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रकरण में प्रा. पत्र पर पूर्व में वकुलाय उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने दलील दी कि ढाणी चौधरियोंवाली अवस्थित राजस्व ग्राम आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ½-½ हिस्से के बालेदार हैं। भूमियां पैतृक है जिनको बिना विधिक तकासमा के दीगर अजनबी को बेचान नहीं कर सकते और यदि कर भी दिया तो भी प्रवेश नहीं कर सकता। उक्त भूमियों को प्रार्थी व अप्रार्थी शामलाती में काश्त करते आ रहे हैं जिसकी सुविधा हेतु मात्र टुकड़ों में विभक्त कर रखा है। बेशकीमती	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

भूमियाँ हैं जिन्हें बाहुबलियों को बेचान कर बेशकीमती भाग पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। स्थगनादेश के दिन से 151 की पालना हेतु प्रा० पत्र पेश किया एवं Court of Contempt पेश किया उसका भी जवाब नही दिया। Court of Contempt में मौका कमि० की Report में मौके पर निर्माणाधीन मकान व निर्माण सामग्री डाली हुई बतायी हैं। मेरा प्रा०पत्र के साथ स्थायी निषेधाज्ञा का Suite हैं। भूमि को कोई भी खुर्द-बुर्द करेगा उसके खिलाफ अनुतोष जारी हैं, अप्रार्थी सं० 6 ने अपने निर्माण की Permission भी मांगी हैं। विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं० 6 को विक्रय लेख किया हैं। जिससे मेरा Cause of action सिद्ध हैं। अप्रार्थीगण ने जवाब में मौके पर खासगी बंटवारा बता रखा हैं लेकिन जवाब में कहीं नहीं बताया कि कौन-कौन किस-किस खसरे पर अधिकार कर रखा हैं। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस दलील दी कि प्रा० पत्र की मद सं० 1 व 2 के ख० नं० में में ½ हिस्से का खातेदार हूं। मद सं० 3 के सजरा खानदान में सारे वारिश Record पर नहीं हैं। "पैतृक भूमियों को बेचान डीमा को नहीं" यह प्रार्थीगण पर भी लागू होता है। विक्रय लेख से प्रार्थीगण ने भी बेचान किया जिससे सिद्ध होता हैं कि कृषि का अकृषि में उपयोग हो रहा है जो मौका क० Report में भी Clear हैं, जिस निर्माणाधीन मकान को लेकर मुझे Target बनाया उसे लेकर Civil Court गए, वहाँ भी प्रा० पत्र खारीज हुआ। प्रार्थीगण ने प्रा०पत्र से संबंधित वादपत्र में कोई काबिज काश्त की सीमाएं नही बतायी जबकि माननीय Civil Court में पेश प्रा०पत्र में अपनी सीमाएं बतायी हैं। प्रार्थीगण

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	ने 20-30 वर्ष पूर्व ही बेचान का भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर लिया। अप्रार्थी सं. 5 व 6 न तो खातेदार हैं न ही इस भूमि से कोई लेना-देना है और न ही इनका कोई दस्तावेज पेश किया है। प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु हमारे पक्ष में हैं जिसके अनुसार प्रार्थीगण ने शामलाती काबिज काश्त बताया, वह हैं नहीं, 40-50 वर्ष पूर्व ही बंटवारा होकर अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं जिनमें इनके कब्जे काश्त हिस्से पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिसमें इन्होंने पहले ही भूखण्ड काटकर बेचान कर दिया है। अपूर्णनीय क्षति हमें हो रही है क्योंकि खानगी बंटवारे के अनुसार हमारे हिस्से में हमारे द्वारा किया जाने वाला निर्माण कार्य रोका गया है। खानगी बंटवारे को विधिक बंटवारे में बदलने के लिए हम आज भी सहमत हैं। दावा व प्रा.पत्र इनके तथ्यों पर चलने योग्य नहीं क्योंकि स्वयं भी दोषी, प्रथम दृष्टया खारीज किए जाने योग्य है, प्रार्थीगण द्वारा पेश फोटो व 151 प्रा. पत्र सिर्फ मेरे मकान में लगी बल्लियां, कंटिया (जो किराए पर थी) हटाने हेतु, उनकी हैं, निर्माण कार्य कोई नया नहीं था/स्थगन के बाद निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं है। जवाब दावा में पहले दिन से ही विधिक बंटवारा/तकासमा हेतु सहमति दे दी थी लेकिन इन्होंने नहीं करवाया। प्रार्थीगण ने माननीय सिविल न्यायालय में वाद पेश किया जिसमें वादी सं. 2 ने कहा है कि "जिसके कुछ हिस्से में आवासीय मकान बना रखे हैं" स्वीकार है)। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, विद्वान उभयपक्ष द्वारा की गई बहस, अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों व Rulling का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से पाया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जज
	ही बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने-अपने हिस्सों पर काश्त कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों ही अपने-अपने हिस्सों में कुछ हिस्सा का बेचान कर रखा है। चूँकि अप्रार्थीगण ने वादपत्र में विधिक विभाजन किये जाने पर सहमति दी है, साथ ही अपने-अपने कब्जा-काश्त के हिस्सों में से उभयपक्षों द्वारा बेचान करने का तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय लेख से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा पूर्व में हो चुका है। इस बाहमी बंटवारे की ताईद प्रार्थी नं. 2 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में दायर वादपत्र की मद सं. 1 में अंकित तथ्यों से भी होती है। वकील उभयपक्षों के तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उभयपक्षों ने खातेदारी शर्तों का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन में बदला है जिससे कृषि भूमि का बाहमी बंटवारे के अनुसार मूल वादपत्र में विधिक तकासमा किया जाना है। प्रकरण में प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों मूल आधार गौण हो चुके हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 15/07/19 महिपाल सिंह उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर))

Scanned by CamScanner